

हाथ में करिय दिनांक 14.9.16 बल्लू न- 43 जी०- 7/10200

5

न्यायालय परगनाधिकारी, पूरनपुर।

वाद संख्या-टी20161256025614033352

ग्राम-कजरी निरंजनपुर

गीता मिश्रा आदि

वनाम

सरकार।

धारा-80राजस्व संहिता-2006

परगना व तहसील पूरनपुर।

:- आदेश :-

प्रसंगत वाद श्रीमती गीता मिश्रा पत्नी श्री अमित मिश्रा आदि निवासी मोहल्ला-बमनपुरी परगना व तहसील पूरनपुर जिला पीलीभीत संस्थापक व अध्यक्ष, पं० राजेन्द्र प्रसाद स्मारक ट्रस्ट, संजय नगर बरेली व श्रीमती राजेश्वरी मिश्रा पत्नी स्व० श्री राजेन्द्र मिश्रा नि० मो बमनपुरी परगना व तहसील पूरनपुर ने इस आशय का योजित किया है, कि ग्राम-कजरी निरंजनपुर परगना व तहसील पूरनपुर जिला पीलीभीत में स्थित भूमि खाता संख्या-385 गाटा संख्या-163 मि० क्षेत्रफल-4.751 हे० लगान-33.40 रूपये प्रार्थिनीगणों के नाम श्रेणी-1क संकमणीय भूमिघर सहखातेदार दर्ज है। उक्त भूमि में प्रार्थिनीगणों का 1.618 हे० भाग है। जो प्रार्थिनीगणों द्वारा बजरिये बैनामा द्वारा कय की है, उक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है तथा वर्तमान में उक्त भूमि पर विद्यालय भवन हेतु/अन्य व्यवसायिक कार्य हेतु निर्माण कार्य चल रहा है। उक्त भूमि वर्तमान में चार दीवारी में खाली पड़ी है। इस कारण प्रार्थी अपनी उक्त भूमि को आकृषिक तथा लगान रहित भूमि घोषित करवाना चाहती हैं। अन्त में उक्त भूखण्ड गाटा संख्या 163 मि० क्षेत्रफल-4.751 हे० में से 1.618 हे० भाग को आकृषिक भूमि घोषित किये जाने का अनुरोध किया है।

तहसीलदार पूरनपुर ने अपनी आख्या दिनांक-09.09.2016 में अवगत कराया है, कि ग्राम-कजरी निरंजनपुर परगना व तहसील पूरनपुर जिला पीलीभीत में स्थित भूमि खाता संख्या-385 गाटा संख्या-163 मि० क्षेत्रफल-4.751 हे० लगान-33.40 रूपये श्रीमती गीता मिश्रा पत्नी श्री अमित मिश्रा आदि निवासी मोहल्ला-बमनपुरी परगना व तहसील पूरनपुर जिला पीलीभीत संस्थापक व अध्यक्ष, पं० राजेन्द्र प्रसाद स्मारक ट्रस्ट, संजय नगर बरेली व श्रीमती राजेश्वरी मिश्रा पत्नी स्व० श्री राजेन्द्र मिश्रा नि० मो बमनपुरी परगना व तहसील पूरनपुर के नाम श्रेणी-1क संकमणीय भूमिघर सहखातेदार दर्ज है। उक्त भूमि पर लगभग 03 वर्षों से खेती नहीं हो रही है तथा उक्त भूमि पर करीब पांच फिट ऊँची दीवार चारों तरफ बनी हुयी है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित दर से उक्त भूमि की मालियत 61,48,400-00 रूपया होती है तथा जिसका एक प्रतिशत 61,484-00 रूपया होता है। जो प्रार्थी द्वारा राजकोष में दिनांक-14.9.2016 को जमा किया जा चुका है। अन्त में उक्त भूखण्ड गाटा संख्या-163 मि० क्षेत्रफल-4.751 हे० लगान-33.40 रूपये में से 1.618 हे० को धारा-80राजस्व संहिता-2006 के अन्तर्गत आकृषिक भूमि घोषित करने की संस्तुति की गयी है।

तहसीलदार पूरनपुर की जाँच आख्या एवं पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम-कजरी निरंजनपुर परगना व तहसील पूरनपुर जिला पीलीभीत में स्थित भूमि खाता संख्या-385 गाटा संख्या-163 मि० क्षेत्रफल-4.751 हे० लगान-33.40 रूपये श्रीमती गीता मिश्रा पत्नी श्री अमित मिश्रा आदि निवासी मोहल्ला-बमनपुरी परगना व तहसील पूरनपुर जिला पीलीभीत संस्थापक व अध्यक्ष, पं० राजेन्द्र प्रसाद स्मारक ट्रस्ट, संजय नगर बरेली व श्रीमती राजेश्वरी मिश्रा पत्नी स्व० श्री राजेन्द्र मिश्रा नि० मो बमनपुरी परगना व तहसील पूरनपुर के नाम श्रेणी-1क संकमणीय भूमिघर सहखातेदार दर्ज है। उक्त भूमि पर लगभग 03 वर्षों से खेती नहीं हो रही है तथा उक्त भूमि पर करीब पांच फिट ऊँची दीवार चारों तरफ बनी हुयी है। तहसीलदार द्वारा उक्त भूमि को धारा-80 राजस्व संहिता-2006 के अन्तर्गत आकृषिक भूमि घोषित करने की संस्तुति की गयी है। अतः उक्त भूखण्ड गाटा संख्या-163 मि० क्षेत्रफल-4.751 हे० लगान-33.40 रूपये में से 1.618 हे० भाग को धारा-80राजस्व संहिता-2006 के अन्तर्गत आकृषिक भूमि घोषित किये जाने योग्य है।

अतः तहसीलदार पूरनपुर की जाँच आख्या एवं संस्तुति दिनांक-09.09.2016 के आधार पर ग्राम-कजरी निरंजनपुर परगना व तहसील पूरनपुर जिला पीलीभीत में स्थित भूमि गाटा संख्या-163 मि० क्षेत्रफल-4.751 हे० लगान-33.40 रूपये में से रकवा 1.618 हे० भूराजस्व 11.37 रूप० को आकृषिक भूमि घोषित किया जाता है तथा भूराजस्व समाप्त किया जाता है। भविष्य में यदि इस भूमि को पुनः कृषि कार्य में प्रयोग किया जाता है, तो यह आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा। तहसीलदार पूरनपुर की जाँच आख्या संस्तुति/आदेश का अंग रहेगी। आदेश की प्रति उप निबन्धक/तहसीलदार पूरनपुर को अनुपालनार्थ प्रेषित की जाये। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर की जाय।

दिनांक: सितम्बर, 2016

For Pt. Rajendra Prasad Smarak Trust

Amit Mishra

Chairman

सत्य प्रति

(नन्हें लाल)

परगनाधिकारी,
पूरनपुर।